

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियगाँव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (कुल लम्बाई 35.600)।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियगाँव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 19.305 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 9.165 हे0 वन पंचायत भूमि, तथा 1.22 हे0 मलवा निस्तारण हेतु अर्थात् कुल 29.69 हे0 वन भूमि) का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 23/11/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्राणीय चौधन जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री प्राणीय चौधन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री विनय कुमार भार्गव प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमती गंगोत्री दत्ताल ग्राम दांतू पो0जौलजीबी, धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री सुरेश जेठा ग्राम सुवा पो0आ0 धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्रीमती पुष्पा देवी ग्राम चामी भैंसकोट वि0खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री विद्यानाथ कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में माड़ु मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य परियोजना हेतु 29.69 हे0 वन भूमि सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियगाँव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक विस्तार कार्य हेतु 29.69 हे0 वन भूमि सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सुवा धारचूला जिला पंचायत सदस्य खेला 02 जिला-पिथौरागढ़	मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य पुष्पा देवी जिला पंचायत सदस्य 09-नावनी, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	जौलजीबी धारचूला जिला पं0 सदस्य श्रीमती गंगोत्री दत्ताल सदस्य जिला पंचायत मेतली (पिथौरागढ़)
प्रभागीय वनाधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	जिला अधिकारी पिथौरागढ़

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No-14

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated 23/11/2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **29.69** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Border Road Organisation, 65 Road Construction Unit (GREF) in Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Dhungatoli, Baluwakot, Charchum, Jumma, Kalika, Ranthi, Syakuri** village (s) in **Dharchula (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 29.69** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature
District Collector

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Aashish Chauhan I.A.S deputy commissioner, Pithoragarh on dated 23.11.21 at time 3:00 at PM in which application claiming rights in BRO (GREF) Pithoragarh area measuring **29.69** hect for the construction of Dhungatoli to Tawaghat Motor Raod (km 72.00 to 107.60) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pithoragarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 23.11.21



जिलाधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियार्गोव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (कुल लम्बाई 35.600)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियार्गोव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 19.305 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 9.165 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 29.69 हे0 वन भूमि) का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 16/11/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार शुक्ला, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1- | श्री अनिल कुमार शुक्ला | उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष |
| 2- | श्री राजेश सिंह बिष्ट | उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य |
| 3- | श्री दीपक गोगोई | सहायक समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव |
| 4- | श्रीमती लक्ष्मी देवी, | बी0डी0सी0 क्षेत्र 14-जुम्मा सदस्य |
| 4- | श्री प्रेम सिंह नगन्याल, | बी0डी0सी0 क्षेत्र दुग्गू सदस्य |
| 4- | श्री मनोज सिंह ग्वाल, | बी0डी0सी0 क्षेत्र 07 बौन सदस्य |

(लक्ष्मी देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
14-जुम्मा उत्तर
वि0ख0- धारचूला

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली /विनियार्गोव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य परियोजना हेतु 29.69 हे0 वन भूमि सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली /विनियार्गोव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 29.69 हे0 वन भूमि सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील/ जनपद -पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रेम सिंह नगन्याल
सदस्य क्षेत्र पंचायत-दुग्गू
वि0ख0-धारचूला (पिथौरागढ़)

मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि0ख0-धारचूला (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील/ जनपद -पिथौरागढ़

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 72.00 (ढुंगातोली/विनियागॉव) से किमी० 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (कुल लम्बाई 35.600)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ढुंगातोली (विनियागॉव)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 72.00 (ढुंगातोली/विनियागॉव) से किमी० 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (कुल लम्बाई 35.600) (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 19.305 हे० सिविल सोयम भूमि 4.165 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 23.67 हे० वन भूमि का सीमा सड़क संगठन (ग्रेफ) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढुंगातोली द्वारा दिनांक 10/12/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विनियागॉव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सीमा सड़क संगठन (ग्रेफ) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

दिनांक 01/12/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दुगालोली (बिन्दियागाव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	जोशी दत्त	जोशी दत्त
2.	पुष्पक दत्त भट्ट	पुष्पक दत्त भट्ट
3.	नरसिंह	नरसिंह
4.	गोमती भट्ट	गोमती भट्ट
5.	नीलम भट्ट	नीलम
6.	तारा दत्त	तारा
7.	ज्याय प्रसाद	ज्याय
8.	मंजू बिष्ट	मंजू देवी
9.	भीता बिष्ट	भीता
10.	मोहन सिंह	मोहन
11.	दिनेश सिंह	दिनेश
12.	सुरेश भट्ट	सुरेश
13.	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
14.	मिरीश सिंह बिष्ट	मिरीश
15.	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी देवी.
16.	अनिल कुमार	अनिल
17.	सुमन देवी.	सुमन



परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - बलुवाकोट, छारछुम, जुम्मा, कालिका, राँधी एवं स्याँकुरी
तहसील - धारचूला
जिला - पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अर्न्तगत किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे0 राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे0 बेनाप भूमि एवं 5.768 हे0 वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बलुवाकोट, छारछुम, जुम्मा, कालिका, राँधी एवं स्याँकुरी द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बलुवाकोट, छारछुम, जुम्मा, कालिका, राँधी एवं स्याँकुरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

ग्राम सचिव

प्रधान

ग्राम पंचायत राँधी विकासखण्ड-धारचूला

ग्राम पंचायत जुम्मा विकासखण्ड धारचूला जिला-पिथौरागढ़



सुरेश्वरी
ग्राम प्रधान माछा
वि.सं. 0-धारचूला
(पिथौरागढ़)



ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बलुवाकोट
वि.सं. 0-धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी० 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - धारदुम

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अन्तर्गत किमी० 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी० 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे० राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे० बेनाप भूमि एवं 5.768 हे० वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारदुम

द्वारा दिनांक 13/11/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत धारदुम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०



धारदुम
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र धारदुम
दि० ख०- धारचूला, पिथौरागढ़

देनांक 13/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- धारपुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन दास S/O श्री कान देव	मोहन दास
2	नारायण प्रसाद S/O श्री प्रेमदास	नारायण प्रसाद
3	चन्द दास S/O श्री हरिदास	चन्द दास
4	पंकज दास S/O नारायण दास	पंकज दास
5	अवध चन्द S/O हरि नारायण	अवध चन्द
6	पिताम्ब S/O 71	पिताम्ब
7	मनोज दास S/O प्रेमदास	मनोज दास
8	कुन्दन S/O रविदास	कुन्दन दास
9	धाना देवी W/O गेहल देव	धाना देवी
10	कमला S/O प्रकाश चन्द	कमला चन्द
11	उमेश प्रसाद S/O जगन्नाथ	उमेश प्रसाद
12	लक्ष्मी देवी S/O जयानन्द	लक्ष्मी देवी
13	सुरेश S/O परमल देव	सुरेश देव
14	दुर्गा देवी S/O राम देव	दुर्गा देवी
15	हंसा W/O दुर्गा देव	हंसा देवी
16	किशन S/O विमलराम	किशन दास
17	संध्या देवी W/O किशन	संध्या देवी
18	रमेश लाल S/O अमरराम	रमेश लाल



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 क्षेत्र धारपुरा
 वि० सं०- धारपुरा, पितौराग

दिनांक 13/11/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- माहा (धारघुन)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेती देवी	सुरेती देवी
2	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
3	विनेश सिंह	विनेश
4	शरूण सिंह	शरूण
5	गोपी देवी	गोपी देवी
6	विशु देवी	विशु देवी
7	डून्पा	डून्पा
8	लोचन सिंह	लोचन सिंह
9	माली देवी	माली देवी
10	पन्ना सिंह	पन्ना
11	विजय सिंह	विजय सिंह
12	शान्ति देवी	शान्ति देवी
13	शेर सिंह	शेर सिंह
14	सुष्मा देवी	सुष्मा देवी
15	राम सिंह	राम
16	मजु देवी	मजु
17	धर्म सिंह	धर्म सिंह
18	राम आशा माधव	आशा

सुरेती देवी
ग्राम प्रधान माछा (धारघुन)
वि० खं०-धारघुला
(पिथौरागढ़)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - बलुवाकोट

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अन्तर्गत किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे0 राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे0 बेनाप भूमि एवं 5.768 हे0 वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत

बलुवाकोट

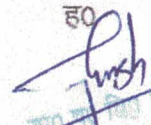
द्वारा दिनांक 24/10/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत बलुवाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बलुवाकोट
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

ह0

9/10/2018

प्रपत्र-23.1

दिनांक 24/10/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- बलुवाकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती पार्वती देवी शर्मा	पि
2	श्रीमती जानकी देवी	जानकी देवी,
3	श्री उमेश सिंह सामन्त	उमेश सिंह
4	श्री नरेश सिंह खेरी	Narayan Singh
5	श्री सुन्दर सिंह सामन्त	सुन्दर सिंह
6	श्री टीना सिंह सामन्त	टीना सिंह
7	श्री विश्व सिंह	विश्व सिंह
8	श्री नारायण सिंह	नारायण सिंह
9	श्री भीम सिंह	भीम सिंह
10	श्री लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
11	श्री तिमिर सिंह	Timir Singh
12	श्री पुष्पादराम	Pushpa Ram
13	श्री लालू राम	लालू राम
14	श्री नारायण राम	नारायण राम
15	श्री कृष्णलाल	कृष्णलाल
16	श्री अर्जुन कुमार	अर्जुन
17	श्री गुमान सिंह	Guman Singh
18	श्री मदन सिंह	मदन सिंह

ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र बलुवाकोट
वि० ख० धारचूला, पिथौरा

Signature
ग्राम पंचायत
बलुवाकोट
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - कालिका

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अन्तर्गत किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे0 राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे0 बेनाप भूमि एवं 5.768 हे0 वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत

कालिका

द्वारा दिनांक 08/12/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत कालिका के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Bany
ग्राम प्रधान कालिका
तहसील - धारचूला

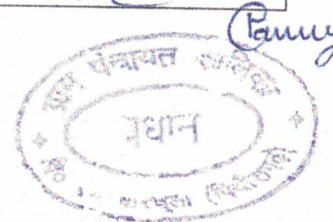
ABP
ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र कालिका
ह0 ख0 - धारचूला, पिथौरागढ़

दिनांक 08/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- कालिका

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	डा. जी. ए. ए. सिंह	
2	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
3	देवान सिंह	देवान सिंह
4	रूप सिंह तितियाल	Rup Singh
5	उमेश सिंह शर्मा	Umesh Singh
6	नगल सिंह रेहरी	नगल सिंह रेहरी
7	लिलोक सिंह ठगुनवा	
8	मदन सिंह बोरा	मदन सिंह
9	नैन सिंह	नैन सिंह
10	रविकुमार सिंह	रविकुमार सिंह
11	महिपाल च-र	Mehpal
12	आनंद सिंह	Anand Singh
13	प्रकाश राम	Prakash Ram
14	धनबहादुर सिंह	धनबहादुर सिंह
15	तेज सिंह	प्रकाश राम तेज सिंह
16	रविकुमार सिंह	रविकुमार सिंह
17	श. र. श. सिंह	शिवराम
18	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र कालिका
वि. ख. 0- धारचूला, पिथौरागढ़



प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - रांथी

तहसील - धारचूला
जिला - पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अन्तर्गत किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे0 राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे0 बेनाप भूमि एवं 5.768 हे0 वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रांथी द्वारा दिनांक 12/12/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत रांथी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

प्रधान

ग्राम पंचायत रांथी

विकासखण्ड - धारचूला

ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र रांथी
तह0 - धारचूला, पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.1

दिनांक 12/12/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- राँधी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
2	जगत सिंह	जगत सिंह
3	नर सिंह	नर सिंह
4	जगम सिंह	जगम सिंह
5	वीरबल सिंह	वीरबल सिंह
6	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
7	मान सिंह	मान सिंह
8	रतन सिंह	रतन सिंह
9	जश राम	जश राम
10	पान सिंह	पान सिंह
11	धन सिंह	धन सिंह
12	नन्द राम	नन्द राम
13	लाल सिंह	लाल सिंह
14	हर सिंह	हर सिंह
15	पुरन सिंह	पुरन सिंह
16	धन सिंह	धन सिंह
17	हलीप सिंह	हलीप सिंह
18	मनोहर राम	मनोहर राम

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र राँधी
वि० ख०- धारचूला, निवासी

ग्राम पंचायत राँधी
विकासखण्ड- धारचूला

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:-

जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

जुम्मा

तहसील - धारचूला

जिला - पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अन्तर्गत किमी 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे० राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे० बेनाप भूमि एवं 5.768 हे० वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत

जुम्मा

द्वारा दिनांक 12.11.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत जुम्मा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

ह०

राजेन्द्र देवा
प्रधान
ग्राम पंचायत जुम्मा
विकास खण्ड धारचूला
जिला-पिथौरागढ़

05/00001
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
तहसील - धारचूला, पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.1

दिनांक 13/12/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- जुम्मा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	धनसिंह	धनसिंह
2	वरेन्द्र सिंह	वरेन्द्र सिंह
3	लक्ष्मण	लक्ष्मण
4	जोगासिंह	जोगासिंह
5	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
6	दानासिंह	दानासिंह
7	हयातसिंह	हयातसिंह
8	विशनासिंह	विशनासिंह
9	भानासिंह	भानासिंह
10	दलीपसिंह	दलीपसिंह
11	दामासिंह	दामासिंह
12	विजयसिंह	विजयसिंह
13	श्रीधरसिंह	श्रीधरसिंह
14	मोहनसिंह	मोहनसिंह
15	वीर राय	वीर राय
16	जीकासिंह	जीकासिंह
17	कल्याणसिंह	कल्याणसिंह
18	चण्डसिंह	चण्डसिंह

ग्राम पंचायत जुम्मा
निकास खण्ड धारचूला
जिला-पिथौरागढ़

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र
वि० खण्ड- धारचूला, पिथौरागढ़

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण (लम्बाई 35.600 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - रथी हरी
तहसील - धारचूला
जिला - पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला क्षेत्र के अन्तर्गत किमी0 72.00 (ढुंगातोली/विनियागांव) से किमी0 107.600 (तवाघाट) तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य (लम्बाई 35.600 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 12.028 हे0 राज्य सिविल/सोयम भूमि, 5.546 हे0 बेनाप भूमि एवं 5.768 हे0 वन पंचायत भूमि का सीमा सड़क संगठन, 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

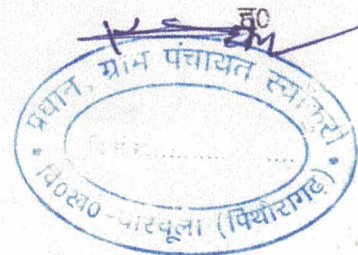
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रथी हरी द्वारा दिनांक 11/12/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत रथी हरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 65 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ती नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र रथी हरी
वि0 ख0- धारचूला, पिथौरागढ़



प्रपत्र-23.1

दिनांक 11/11/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-स्योकुटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जमनसिंह	जमनसिंह
2	बलदेव सिंह धामी	Baldev
3	सुनील सिंह धामी	Sunil
4	नारायण सिंह धामी	Narayan
5	मनोसह धामी	Mansah
6	मोहन सिंह धामी	Mohan
7	विशाल सिंह	Vishal
8	नारायण सिंह धामी	Narayan
9	नवल सिंह	Naval
10	नारायण सिंह	Narayan
11	जनी सिंह	Jani
12	जोगेन्द्र सिंह धामी	Jogendra
13	अनुर सिंह	Anur
14	हर सिंह धामी	Har
15	Ashwan Singh	Ashwan
16	मान सिंह धामी	Man
17	कल्याण सिंह धामी	Kalyan
18	पदन सिंह धामी	Padan

ग्राम पंचायत विकास अधिका
क्षेत्र-स्योकुटी
वि० ख०-धारवूला, पिथौरागढ़

